

03.04.2026:

सिविल प्रकीर्ण वाद/स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ। बार बार पुकार कराये जाने के बावजूद न तो आवेदक उपस्थित है और न ही आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदक की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि आवेदक की ओर से विगत तिथियों में भी कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा आवेदक द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पैरवी भी नहीं की जा रही है। अतएव प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद/स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र (बिना गुण-दोष पर विचार किये) आवेदक की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

03.04.2026